कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल, पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 1325 /नातौ/अ-1(1)/2018 भोपाल, दिनांक: 03/04 /03/2018

प्रति,

समस्त उप / सहायक नियंत्रक,
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान),
मध्यप्रदेश

विषय :- इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों का सत्यापन / मुद्रांकन एवं प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5054-55/नातौ/अ-1(1)/06 दिनांक 04.12.2006 एवं पत्र क्रमांक 8427/नातौ/अ-1(1)/2017 दिनांक 25.11.2017.

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संज्ञान में आया कि निरीक्षकों द्वारा इस कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन / मुद्रांकन के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का सही ढग से पालन नहीं किया जा रहा है।

अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी व निरीक्षकों द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5054-55 दिनांक 04.12.2006 में दिये निर्देशों का अक्षरत: पालन करवाया जावे एवं विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 की अनुसूचि - सात हेडिग 'A' के भाग-II के सरल क्रमांक 8(1) (III) मोहर लगाना शीर्षक में दिये अनुसार सीलिंग प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित हो ताकि नाप-तौल यंत्रो के सत्यापन / मुद्रांकन पश्चात अपसमायोजन (maladjustment) को रोका जा सके।

पालन न करने वाले विक्रेता / सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध आप स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम है, नियमानुसार कार्यवाही की जावे। साथ ही पालन न करने वाले कार्यपालिक निरीक्षकों के विरूद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजे।

S/d 2/4

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म.प्र. भोपाल

पृ0क्र0 1326 /नातौ/अ-1(1)/2018 भोपाल, दिनांक: 03 /04/2018

प्रतिलिपि :-

समस्त निरीक्षक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। जिले के समस्त विक्रेता / सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5054-55 दिनांक 04.12.2006 में दिये निर्देशों से अवगत कराते हुऐ पालन कराया जावे एवं पालन न करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित उप / सहायक नियंत्रक को प्रस्ताव भेजा जावे।

S/d 2/4

नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म.प्र. भोपाल

Letter Pravartan in Mangal

कार्यालय नियंत्रक नाप–तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक /नातौ/अ–1(1)/06 भोपाल, दिनांक :

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक
समस्त निरीक्षक,
नाप–तौल, मध्यप्रदेश

विषयः– इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों का सत्यापन/मुद्रांकन एवं प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

–::–::–

उपरोक्त विषयांतर्गत इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी निर्माता/विक्रेताओं को आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 29.11.06 को निर्माता/विक्रेताओं की बैठक में विचारोपरांत इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन के संदर्भ में जारी निर्देश क्रमांक 4275 दिनांक 29–9–06, 4692 दिनांक 4–11–06 में सत्यापन एवं मुद्रांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार संशोधित की जाती है :–

(1) इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों की स्टेंपिंग प्लेट को उपकरण के साथ फिक्स करके सीलिंग के लिए स्टेंपिंग प्लेट व मशीन में होल करके दोनों के छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर वायर के दोनों सिरों को बाहर की तरफ से लेड की चौकोर सील के साथ प्लायर से स्टेंपिंग किया जावे। वायर से सीलिंग की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसी कि पेट्रोल पंप की स्टेंपिंग में निर्धारित है। सीलिंग प्लेट पर भी मुद्रांकन पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना है कि उपकरण की स्टेंपिंग प्लेट किन्ही भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रानिक तौल उपकरण से पृथक नही की जा सके। निर्माता/विक्रेता के यहां निरीक्षक उक्त प्रक्रिया का पालन करेंगे। इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावेगा।

(2) राज्य में निर्मित व अंतर्राज्यीय मशीनों का सत्यापन/मुद्रांकन, निर्माता/विक्रेता के यहां किया जावेगा। निर्माता/विक्रेता मशीन के विक्रय की सूचना संपूर्ण विवरण सहित संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को एक माह के अंदर प्रेषित करेंगे।

(3) प्रत्येक मशीन का पृथक–पृथक सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। सत्यापन प्रमाण पत्र में निर्देश क्रमांक 4275 दिनांक 29.9.06 में विनिर्दिष्ट विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जावे। उपयोगकर्ता के स्थल पर सत्यापन/पुनः सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध रहना आवश्यक होगा। निर्माता/विक्रेता मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपने अभिलेख में रखेंगे।

नियंत्रक
नाप–तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्र. 5055 /नातौ/अ–1(1)/06 भोपाल, दिनांक : 4/12/06

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षक/स्टेनो शाखा/अनुज्ञप्ति शाखा की ओर सूचनार्थ।

Yogesh 4.12.06

नियंत्रक
नाप–तौल, म.प्र. भोपाल

1) anils.pm5

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल, पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 8426 /नातौ/अ-1(1)/2017 भोपाल, दिनांक:25/11/2017

प्रति,

उप नियंत्रक,
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान),
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- नकली सत्यापन मुद्रांकन से शासकीय राजस्व की हानि एवं सत्यापन प्लेट की बिक्री पर अवैध वसुली बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 3651/नातौ/2017 दिनांक 09.11.2017. एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5054-55/नातौ/अ-1(1)/06 दिनांक 04.12.2006.

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5054-55 दिनांक 04.12.2006 में दिये निर्देशों का अक्षरत: पालन करवाया जावे। पालन न करने वाले कार्यपालिक निरीक्षकों के विरूद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजे जावे। साथ ही पालन न करने वाले विक्रेता / सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध आप स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम है, नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म.प्र. भोपाल

पृ0क्र0 8427 /नातौ/अ-1(1)/2017 भोपाल, दिनांक:25/11/2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश (इन्दौर को छोड कर) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता / सुधारकों की भी आकस्मिक जॉच कर कार्यवाही भी करें।
2. समस्त निरीक्षक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्तानुसार

नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म.प्र. भोपाल

Letter Pravartan in Mangal